Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के अपहरण करने के आरोपी अंशुल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

राजीव कुमार
एडीजीसी

है0का0 राजकुमार
कोर्ट पैराकार

अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में अभियुक्त अंशुल पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम महावतपुर बाबली थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा अपहरण करने घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 941/2014 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 27.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अंशुल को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है ।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 27.08.2025

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने गुमशुदा मंदबुद्धि 12 वर्ष के बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

कोतवाली खेकड़ा पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकड़ा पुलिस द्वारा गुमशुदा मंदबुद्धि 12 वर्ष के बच्चे को तलाश कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है।

परिजनो द्वारा खेकड़ा पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना खेकडा।

2-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा।

3-का0 590 रवि कुमार थाना खेकडा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 27.8.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सादाब पुत्र रफीक निवासी ईदगाह कालोनी कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।**

घटनास्थल- पावर हाउस से चमरावल रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर कस्बा बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत।
2-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत।
3-का0 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत।
4- हो0गा0 352 आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 27.08.25

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 246/25 धारा 305/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 285/25 धारा 305/62 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 21 किलो ग्राम चीनी, 02 गुड-डे बिस्कुट के पैकेट, 02 बीडी के पैकेट, 05 माचिस के पैकेट व 01 नमकीन का पैकेट बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

1-दिनाँक 03.08.25 को थाना खेकड़ा पर वादी अभिनव धामा पुत्र गजेन्द्र धामा निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के ताऊ की परचून की दुकान से परचून का सामान व 8 हजार रुपये नगद चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 246/25 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 27.08.25 को थाना खेकड़ा पर वादी रितिक पुत्र बिजेन्द्र निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्तों अरूण पुत्र पप्पू निवासी मौहल्ला घास मण्डी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने अपने 01 अन्य साथी के साथ वादी के घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया व अभियुक्त अरूण मौके पर पकड लिया गया तथा

उसका दूसरा साथी भाग गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0स0 285/25 धारा 305/62 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 246/25 धारा 305/331(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 285/25 धारा 305/62 बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 21 किलो ग्राम चीनी, 02 गुड-डे बिस्कुट के पैकेट, 02 बीडी के पैकेट, 05 माचिस के पैकेट व 01 नमकीन का पैकेट बरामद हुई है।

नोट- उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 246/25 धारा 305/331(4) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विशाल पुत्र वीर सैन निवासी मौहल्ला घास मण्डी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अरूण पुत्र पप्पू निवासी मौहल्ला घास मण्डी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

2. विशाल पुत्र वीर सैन निवासी मौहल्ला घास मण्डी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त अरुण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 399/18 धारा 380/411 भादविथाना खेकडा जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 344/18 धारा 457/380/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 400/18 धारा 380/411भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं 018/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 303/22 धारा 380 /411भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।

6.मु0अ0सं0 418/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 202/24 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2.मु0अ0सं0 220/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3.मु0अ0सं0 51/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 21 किलो ग्राम चीनी ।
- 02 गुड-डे बिस्कुट के पैकेट ।
- 02 बीडी के पैकेट ।
- 05 माचिस के पैकेट ।
- 01 नमकीन का पैकेट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा

2.है0का0 432 अनिल नागर थाना खेकडा

3. है0का0 428 कपिल रावत थाना खेकडा

4. है0का0 804 रविन्द्र चौहान थाना खेकडा

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा   दिनाँक - 27/08/2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने सट्टे की खाई बाडी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा, 01 पेन, 01 गत्ता व 360 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाई बाडी करते समय 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा, 01 पेन, 01 गत्ता व 360 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनज पुत्र पोथीराम निवासी ग्राम महादेवपुर थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद (फतेहगढ़) हाल पता पाठशाला रोड कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- सट्टा पर्चा,
- 01 पेन,
- 01 गत्ता
- 360 रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 कपिल कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2.है0का0 432 अनिल नागर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3.है0का0 428 कपिल रावत थाना खेकड़ा जनपद बागपुत।
4.है0का0 804 रविन्द्र चौहान थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 27.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 409/24 धारा 420/406/467468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30.11.24 को थाना खेकड़ा पर वादी ओमप्रकाश रीजनल मैनेजर मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सुधीर पुत्र धर्मपाल व 02 अभियुक्ताओं निवासीगण पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा मुथुट फाइनेंस कम्पनी से 40 हजार रुपये का लोन ले लिया गया व लोन की किश्त नहीं दी गयी तथा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाकर लोन माफी

हेतु लगाये गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 409/24 धारा 420/406/467468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 409/24 धारा 420/406/467468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

01 अभियुक्ता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
2.महिला उ0नि0 रक्षा भारद्वाज थाना खेकडा जनपद बागपत।
3.महिला हो0गा0 812 गुडिया थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 27.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 284/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा .32 बोर व 01 खोखा कारतूस .32 बोर व 01 गाड़ी स्विफ्ट नं0 UP-17N-2999 बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 27.08.25 को थाना खेकडा पर वादी रुस्तम पुत्र रोहताश निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों वीरेन्द्र पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत व स्विफ्ट गाडी चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से वादी के ऊपर फायर कर दिया गया, जिसमें वादी बाल-बाल बच गया तथा गाली-गलौज करते हुए भाग गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा मु0अ0सं0 284/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के ने थाने के मु0अ0सं0 284/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा .32 बोर व 01 खोखा कारतूस .32 बोर व 01 गाड़ी स्विफ्ट नं0 UP-17N-2999 बरामद हुई है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 3/2527 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है तथा अभियुक्त मोन्टू पुत्र हरीराम निवासी नगोला हैदर नगर थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड़ का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-वीरेन्द्र पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-मोन्टू पुत्र हरीराम निवासी नगोला हैदर नगर थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरण

- **01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा .32 बोर व 01 खोखा कारतूस .32 बोर।**
- **01 गाड़ी स्विफ्ट नं0 UP-17N-2999**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2.है0का0 452 मनोज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

3.का0 915 विवेक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनाँक 27.08.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्ता सहित 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्ता सहित 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांरटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-गौतम गिरी पुत्र वेदू निवासी ग्राम खासपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

2- 01 वारंटी अभियुक्ता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-म0उ0नि0 राधा थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी   दिनाँक 27.08.2025

थाना बालैनी पुलिस ने 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पता-

जयप्रकाश उर्फ जेपी पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त अरुण का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 177/24 धारा 115(2)/309(4)/356(2)/351(3) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 66/22 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना बालैनी जपनद बागपत।

3-मु0अ0सं0 47/19 धारा 380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 113/25 धारा 3/10 उ0प्र0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बालैनी बागपत।

2- उ0नि0 श्री गिर्राज किशोर शर्मा थाना बालैनी बागपत

2- का0 884 सर्जन सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

3- का0 917 दयाशंकर थाना बालैनी जनपद बागपत।

संसोधित प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 27.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो ग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 50,000 रूपये) बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 किलो ग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 50,000 रूपये)) बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलाब पुत्र इलियास निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो ग्राम अवैध गांजा (कीमत लगभग 50,000 रूपये) ।

गिरफ्तार अभियुक्त गुलाब का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 28/16 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना दोघट जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 500/17 धारा 147/323/325/504/506 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

3-मु0अ0सं0 196/23 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कैराना जनपद शामली जनपद शामली।

4-मु0अ0सं0 526/23 धारा 60 (1) आबकारी अधि0 272/273 भादवि थाना कांधला शामली जनपद शामली।

5-मु0अ0सं0 365/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कांधला जनपद शामली।

6-मु0अ0सं0 404/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कांधला जनपद शामली।

7-मु0अ0सं0 04/25 धारा 303 (2)/317 बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

8-मु0अ0सं0 29/25 धारा 13 जूआ अधि० थाना कांधला जनपद शामली।

9-मु0अ0सं0 40/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कांधला शामली जनपद शामली।

10-मु0अ0सं0 337/25 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

11-मु0अ0सं0 509/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत।

3- का0 607 कपिल थाना रमाला जनपद बागपत।

4- का0 1090 अमित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना-सिंघावली अहीर दिनाँक- 27.08.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने फेसबुक आइडी पर धर्म विशेष की स्टोरी लगाने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.25 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अभियुक्त नईम पुत्र जमील निवासी ग्राम तेडा थाना सिंघावली अहीर द्वारा धर्म विशेष के प्रति आपत्तिजनक स्टोरी अपलोड की गयी। घटना की गम्भीरता को देखते हुए थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नईम पुत्र जमील निवासी ग्राम तेडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

- घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 27.08.2025

बागपत पुलिस ने 15 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 15 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अबरार पुत्र बाबू खान निवासी तिगड़ी संगमविहार दिल्ली।

2-इरशाद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-अमरीश पुत्र भीम सिंह निवासी मौ0 देशराज कस्बा व थाना कोतवली बागपत जनपद बागपत।

4-शहनवाज पुत्र अख्तर निवासी मौ0 गायत्रीपुरम कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।
5-बंटी कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी ग्राम मवीकला थाना कोतवाली बागपत।
6-जाहिद पुत्र युसुफ निवासी मौ0 केतीपुरा कस्बा व थाना कोतवाली बागपत।
7-प्रहलाद पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम मवीकला कोतवाली बागपत।
8-विक्की पुत्र ओमवीर निवासी पट्टी जगमलान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
9- रविश पुत्र सन्तराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।
10- अय्यूब पुत्र दीन मौ0 निवासी पट्टी भोजान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत।
11-उस्मान पुत्र समेदीन निवासी मौ0 किदवई नगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।
12-आशू पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
13-शशि पुत्र राजपाल निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
14-आकिल पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
15-शानू पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम। (07 वारंटी)
2-थाना दोघट पुलिस टीम। (02 वारंटी)
3-थाना बिनौली पुलिस टीम। (01 वारंटी)
4-थाना बड़ौत पुलिस टीम। (01 वारंटी)
5-थाना चांदीनगर पुलिस टीम। (04 वारंटी)